



## पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2643023 फैक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 185 / मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3

दिनांक 29.10.2021

### कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन तदर्थ अनुग्रह धनराशि (Adhoc Ex-gratia) के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. तदर्थ अनुग्रह धनराशि की सुविधा केवल उन अराजपत्रिक श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, जिनके पुनरीक्षित सातवें वेतनमानों के अनुरूप वेतनमान रू० 4600 ग्रेड पे (वर्तमान वेतन लेवल-7) तक है, को ही अनुमन्य होगी। रू० 4600 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान रू० 6500-11000 तक के पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयबद्ध वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप में अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रा:स्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं है, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।
2. तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान की सुविधा हेतु केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो दिनांक 31.03.2021 को नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2020-21 में 31 मार्च, 2021 तक न्यूनतम 6 माह की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण की हो। वर्ष के दौरान 6 महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी। वित्तीय वर्ष के मध्य माहों में सेवानिवृत्त/मृत होने वाले कर्मचारियों द्वारा इस अवधि में की गयी सेवा को आधार मानकर उन्हें/उनके उत्तराधिकारी को अनुग्रह धनराशि के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
3. तदर्थ अनुग्रह धनराशि की अधिकतम देय धनराशि रू० 7000/- प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात् जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रू० 7000/- से अधिक भी उनके लिए तदर्थ अनुग्रह धनराशि का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रू० 7000/- प्रतिमाह है।
4. उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा।
5. मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, उत्तराखण्ड विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. रू० 7000/- प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31.03.2021 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन परिलब्धियाँ तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में रू० 7000 x 30/30.4 = रू० 6,907.89 अर्थात् रू० 6908.00 (छः हजार नौ सौ आठ मात्र) भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।
7. ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2020-21 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2020-21 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय नहीं होगी। साथ ही प्रवंचन (Fraud) अथवा विभाग के परिसर में उपद्रव अथवा हिसात्मक आचरण अथवा चोरी, कारपोरेशन के धन का दुरुपयोग या कारपोरेशन की सम्पत्ति की तोड़-फोड़ के आरोपों में लिप्त कर्मचारी तदर्थ अनुग्रह धनराशि पाने के हकदार नहीं होंगे।

क्रमशः.....2

